

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल राजगीर**

प्रेषक,

पत्रांक..... २८५..... / राजगीर, दिनांक २१/५/२१।

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, राजगीर  
सेवा मे।

श्री अजय कुमार  
बहवलपुर गिरियक  
नालन्दा।

**विषय :- PMGSY योजनान्तर्गत 1.048- NH31 Giriyak to Bishnupur पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध मे।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय ~~संस्करण~~ के आलोक मे कहना है कि विषयाकृत पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा रांख्या- 02/SBD/2017-18 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्पत्ति का हास हो रहा है जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेदार हैं।

आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा चौथे दिन दिनांक 04.06.2021 को पथ का अंतिम मापी कर लिया जायेगा, जिसमें कि आपकी उपरिथित अनिवार्य है। उपस्थित नहीं रहने पर आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरांत एकरारनामा के Clause of Contract के Clause No-४८ के तहत एकरारनामा को घिखड़ित करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निवधन को काली सूर्यी में डालने हेतु अनुशंसा कर दिया जायेगा। अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य गाव्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की वसूली आपके जमानत एवं अन्य जप्त राशियों से किया जायेगा।

विश्वासमूजन

३१/५/२१

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, राजगीर